देवघर समाहरणालय

(जिला समाज कल्याण शाखा)

— : आम सूचना : —

समाज कल्याण महिला बाल विकास विभाग, राँची के परिपत्र ज्ञापांक 2479 दिनांक 27.12.2013 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017—18 में राज्य योजना मद के तहत् देवघर जिला के अन्तर्गत नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है। जो निम्न प्रकार है : —

1. स्पैष्टिक विद्यालय का संचालन।
2. अनाथालय का संचालन।

उक्त योजनाओं के सफल संचालन हेतु नीचे लिखे निम्नांकित नियम शर्त के अधीन स्वयसेवी संस्था / गैर सरकारी संस्था / अन्य संस्थाओं से परियोजना प्रस्ताव दिनांक 21/07/2017 के समय 3 बजे तक अपराह्न तक आमंत्रित किया जाता है।

नियम एवं शर्त : —

3. उन स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा, जो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ट्रस्ट अधिनियम—1882, कम्पनीज अधिनियम—1958 के तहत निबंधित हो एवं सरकारी उपक्रम / निगम / निकाय / कॉपरेटिव / समिति के अधीन लोकहित में कार्य कर रहे हो तथा जिसका निबंधन का तीन साल पूरा हो गया हो।
4. उन्हीं संस्थाओं के परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा, जिनका विधिवत रूप से गठित प्रबंध समिति हो एवं जिसका अधिकार और कर्त्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित हो, तथा जिनके लिखित संविधान / वाईलाज हो। परियोजना प्रस्ताव के साथ उक्त संविधान / वाईलाज को संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. संस्थाओं के परियोजना प्रस्ताव पर विचार के लिये आवश्यक होगा कि संस्था परियोजना प्रस्ताव से संबंधित विषय पर या परियोजना के विषय के समान क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो तथा संस्था के पास परियोजना कार्यान्वियन के लिए पर्याप्त सुविधाएँ तथा संसाधन उपलब्ध हो।
6. परियोजना प्रस्ताव का बजट परियोजना के आवश्यकता आधारित होनी चाहिए अनावश्यक रूप से अत्यधिक बजट वाले परियोजना प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. किसी परियोजना संचालन के लिए संस्था की अपनी वित्तीय स्थिति का सुदृढ़ होनी आवश्यक है। संस्था के पास संबंधित परियोजना हेतु प्रस्तावित बजट का कम से कम 20% राशि अपने बैंक खाते में रखना अनिवार्य होगा।
8. वैसी स्वयंसेवी संस्थाओं के परियोजना प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा, जिनके द्वारा पूर्व में अनुदान की राशि का दुरूपयोग किया गया हो या जिनका नाम काली सूची में दर्ज हो।
9. संस्था के परियोजना प्रस्ताव के साथ संस्था का आधारभूत ढाँचा तथा संसाधनों का पूर्ण व्यौरा, लाभान्वितों के नाम, पता, फोन नं0, फोटो तथा कार्यरत शिक्षक / कर्मचारियों के नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, विशेष प्रशिक्षण आदि की जानकारी, विगत तीन वर्षो का अंकेक्षण प्रतिवेदन / वार्षिक प्रतिवेदन संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उपायुक्त,
देवघर।